प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.05.2025

क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद द्वारा झारखण्ड से तस्करी कर लाई जा रही लगभग 50 लाख रुपए कीमत की 02 किलोग्राम अफीम सहित एक अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

दिनांक-20/05/25 को क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा झारखण्ड राज्य से तस्करी कर लाई जा रही 02 किलोग्राम अफीम सहित 01 अन्तर्राज्यीय तस्कर को मेन श्याम पार्क रोड साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास थाना साहिबाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। अफीम तस्कर से बरामद 02 किलोग्राम अफीम की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 50 लाख रूपये है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ पर अभियुक्त शम्भू कुमार पूछताछ पर बताया कि वह झारखण्ड के हजारीबाग जनपद का रहने वाला हैं और 12वीं पास है। अभियुक्त ने बताया कि पढाई छोडने के बाद उसने मैकेनिक का काम सीखा और एक दुकान पर काम करने लगा तथा ड्राईवरी भी सीख ली। पहले वह दूसरे लोगो की गाडियों पर ड्राईविंग का काम करता था फिर उसने अपनी एक पुरानी स्कार्पियो गाडी खरीदकर उसे बुकिंग पर चलाने लगा लेकिन उसमे ज्यादा फायदा नही हो रहा था। इसी बीच शम्भू कुमार की मुलाकात उसके बडे भाई के जानने वाले हजारीबाग झारखण्ड निवासी उपेन्द्र कुमार नाम के व्यक्ति से हुई। उपेन्द्र ने उसको अवैध अफीम की तस्करी के काम तथा उससे होने वाले मुनाफे के बारे मे बताया। तो ज्यादा आमदनी के लालच में अभियुक्त शम्भू ने उपेन्द्र के साथ अवैध अफीम को झारखण्ड राज्य से दिल्ली एन0सी0आर0, पंजाब, उत्तराखण्ड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तस्करी करना शुरू कर दिया जिसके अभियुक्त शम्भू को प्रत्येक चक्कर के15 से 20 हजार रू0 मिलने लगे। अफीम की तस्करी करने से इकट्ठा हुए पैसो से अभियुक्त शम्भू उपरोक्त स्वयं अवैध अफीम की तस्करी झारखण्ड से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, दिल्ली एन0सी0आर0 मे जाकर करने लगा इस काम में उसको काफी फायदा होने लगा। अभियुक्त शम्भू ने बताया कि उसे अफीम की जितनी डिमाण्ड मिलती है उतना ही माल लेकर वह बस व ट्रेन बदल-बदल कर अलग-अलग रूट से आता हैं, जिस व्यक्ति को माल देना होता है उस व्यक्ति से बात करके अभियुक्त शम्भू उपरोक्त डिलीवरी देने की जगह व समय पहले ही तय कर लेता हैं कि माल कहाँ, कब और कितने बजे देना है। जब शम्भू उपरोक्त माल लेकर चलता हैं तो किसी से सम्पर्क नही करता जब तक कि माल को तयशुदा जगह पर जिसको डिलीवरी देनी है उसे पंहुचा न दें। इस बार शंभू कुमार को माल की डिलीवरी गिरीश नाम के व्यक्ति को देनी थी जो बरेली का रहने वाला है और बरेली,बदायूँ,मुरादाबाद,गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर मे अफीम की सप्लाई करता है।इस बार माल की डिलिवरी गिरीश को गाजियाबाद मे ही देनी थी। पूछताछ पर यह भी बताया कि पिछले कुछ समय से गाजियाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में अफीम की माँग बढी है। यह काम शम्भू कुमार पिछले 06 माह से कर रहा हैं एवं कई बार अफीम की सप्लाई कर चुका हैं मादक पदार्थो की तस्करी मे कम समय में ज्यादा फायदा होता है, जिससे अभियुक्त अपने शौक व घर के खर्चे पूरा करता हैं।

अभियुक्त से पूछताछ पर मादक पदार्थों के बिक्री व तस्करी करने वाले अपराधियों के सम्बन्ध में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में मादक पदार्थों की बिक्री व उनके सेवन पर रोक लगेगी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.शम्भू कुमार पुत्र वैजनाथ महतो निवासी ग्राम झरपो थाना इचाक जिला हजारीबाग झारखण्ड उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1.अफीम 02 किलोग्राम कीमत लगभग 50 लाख रूपये

गिरफ्तार अपराधी का आपराधिक इतिहास- अभियुक्त शम्भू कुमार के विरूद्ध गाजियाबाद में 01 अभियोग मादक पदार्थो की तस्करी के सम्बन्ध मे पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1.क्राइम ब्रान्च व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुये सफेद व पीली धातु के आभूषण (कीमत करीब 3 लाख 60 हजार रुपये) , 03 मोबाइल व 25000/- रु0 नगद बरामद ।

दिनांक 01-5-25 को वादी श्री रोहित कश्यप पुत्र ओमप्रकाश कश्यप निवासी म0नं0 259 गली नं 10 हरीनगर घूकना गाजियाबाद ने सूचना दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के चाचा सुशील कश्यप के घर से अलमारी में रखे जेवर व रुपये चोरी कर लिये है। उक्त सूचना पर तत्काला थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 19-05-25 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तगण को नगर निगम मैदान के पास से मय चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. कुनाल पुत्र सवेन्द्र निवासी ग्राम गिरधरपुर थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर उम्र 20 वर्ष
2. वंश पुत्र धर्मेन्द्र निवासी हाफिजनगर वंहई जिला बरेली तथा वर्तमान पता ग्राम गिरधरपुर थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर उम्र 20 वर्ष
3. चिंटू उर्फ हर्ष पुत्र मुकेश निवासी माता का मंदिर ग्राम रावली थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभि0चिंटू उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का एक अभियोग पंजीकृत है।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण कुनाल, वंश व चिंटू उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम पांच दोस्तो ने हरिनगर घूकना में रात्रि में दिनांक 28/29.04.2025 को मकान के गेट में लगा ताला तोड़कर घर में घुसकर अलमारी का लोक तोड कर उस में रखे सोने-चांदी के जेवरात व रुपये व एक मोबाइल फोन रैडमी का मिला था जिसको लेकर हम पांचों लोग एक बैग में भरकर लेकर चले गये थे। जिसमें योगेन्द्र जाटव पुत्र पप्पू निवासी मंगल बाजार थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर तथा महेन्द्र पुत्र मंगल सिंह निवासी शकुन्तला पब्लिक स्कूल ग्राम गिरधरपुर थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर लूट की घटना में थाना बिसरख से जेल में है जिन्होने नोएडा में कहीं लूट की घटना की थी। जिसमें हम पाचों लोगों ने लोगों नें बांट लिया थे तथा शेष सोना चांदी के जेवरात व 25000 रुपये को सुरक्षित जगह पर छिपा दिया था, ताकि मौका मिलने पर बेच सकें।

बरामदगी का विवरण—

03 अंगूठी पीली धातु,

01 गले का हार का सैट पीली धातु,

01 नाक की लोग पीली धातु,

01 बाली पीली धातु,

01 घड़ी एचएमटी पीला पानी चढा हुआ,

01 मोबाईल फोन वीवो वी 50प्रो कीमत करीब 12000 रुपये,

01 मोबाईल फोन आई फोन 13 प्रो कीमत करीब 80000 रुपये,

01 मोबाईल फोन सैमसंग 20000 रुपये (सभी मो0फोन चोरी के नगद पैसो से खरीदे हुए)

02 मंगलसूत्र सफेद धातु मय पैडल,

04 जोड़ी पाजेब सफेद धातु मय घुगंरू,

08 जोड़ी बिछवा सफेद धातु,

01 माथे का टीका सफेद धातु,

02 अगूठी सफेद धातु,

01 ब्रासलेट सफेद धातु,

01 चैन सफेद धातु,

01 हाथफूल सफेद धातु

25000/- रु0 नगद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा छात्र के साथ मारपीट व हत्या का प्रयास करने के अभियोग में वांछित 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.05.2025 को वादी श्री उदय त्यागी पुत्र मुकेश कुमार त्यागी 1083 स्वर्ग आश्रम रोड त्यागी नगर हापुड द्वारा थाना वेव सिटी पर एक तहरीर दी गई कि दिनांक 15.05.2025 को अभियुक्तगण-1.प्रथम वत्स 2. आलोक निवासी राणा पट्टी पिलखुवा जनपद हापुड़ 3. सुमित सांगवान निवासी मोदीनगर 4. नकुल सांगवान मोदीनगर एवं अन्य कुछ साथी नाम व पता अज्ञात द्वारा वादी के भाई श्री ध्रुव त्यागी पुत्र श्री राकेश कुमार त्यागी निवासी त्यागी नगर जनपद हापुड़ के साथ लाठी डंडो से हमला कर मारपीट करना जिससे वादी का भाई गंभीर रुप से घायल हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वेव सिटी पर तत्काल धारा 191(2),190,131,115(2) BNS के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मेडीकल प्रपत्र के अवलोकन से उपरोक्त अभियोग में धारा 109(1)/118(3) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 20.05.2025 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट एवं सीसीटीवी फुटैज के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1.सुमित सांगवान पुत्र मनोज सागंवान निवासी ग्राम खंजरपुर थाना

मोदीनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 2.नकुल सांगवान पुत्र राजेन्द्र सांगवान निवासी निवासी ग्राम खंजरपुर थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 3. श्याम धामा पुत्र अजय धामा निवासी सीकरी रोड भूपेन्द्रपुरी मोदीनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 4. सुजल गौतम पुत्र सतपाल गौतम निवासी तिबडा रोड भूपेन्द्रपुरी मोदीनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष 5. अंश यादव पुत्र ब्रजराज यादव निवासी गली नं0-03 नेहरू कॉलोनी मोदीनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को कम्पोजिट विद्यालय के पास उस्मान गढी डासना एकेजी कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि सुमित सांगवान एवं नकुल सांगवान दोनो मौसेरे भाई हैं और आईएमएस कॉलेज में बीबीए के द्वितीय वर्ष के छात्र हैं जिनका करीब एक वर्ष पूर्व ध्रुव त्यागी के साथ झगड़ा हो गया था जिसको लेकर हम लोग ध्रुव त्यागी से रंजिश मानते थे। इन्ही दोनों के कहने पर हम सभी ने एक राय होकर दिनांक 15.05.2025 को हाइटेक कॉलेज के गेट के सामने ध्रुव त्यागी जो आईएमएस कॉलेज में पढ़ता है, के साथ लाठी व डण्डों से मारपीट की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.सुमित सांगवान पुत्र श्री मनोज सागंवान निवासी ग्राम खंजरपुर थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

2.नकुल सांगवान पुत्र राजेन्द्र सांगवान निवासी निवासी ग्राम खंजरपुर थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

3. श्याम धामा पुत्र अजय धामा निवासी सीकरी रोड भूपेन्द्रपुरी मोदीनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

4. सुजल गौतम पुत्र सतपाल गौतम निवासी तिबडा रोड भूपेन्द्रपुरी मोदीनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

5. अंश यादव पुत्र ब्रजराज यादव निवासी गली नं0 3, नेहरू कॉलोनी मोदीनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

अभियुक्त सुमित का आपराधिक इतिहास -

अभियुक्त सुमित के विरूद्ध थाना मोदीनगर में मारपीट का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना वेवसिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त नकुल का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त नकुल के विरूद्ध थाना वेवसिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त श्याम धामा का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त श्याम धामा के विरूद्ध थाना वेवसिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त सुजल गौतम का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त सुजल गौतम के विरूद्ध थाना मोदीनगर पर हत्या के प्रयास का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना वेवसिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त अंश यादव का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त अंश यादव के विरूद्ध थाना वेवसिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 ई-रिक्शा, 02 मोटर साइकिल, 02 एलईडी, 02 मोबाइल व 01 वेल्डिंग मशीन बरामद।

आज दिनांक 20.05.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्तगण 1. अमन पुत्र आलम निवासी एच-ब्लॉक सेक्टर-11 प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 2.आसिम पुत्र शमशाद निवासी लाला का ऑफिस मिर्जा गार्डन चौकी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 3.शाहिद पुत्र मकसूद निवासी सेक्टर-11 प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 4. फरदीन पुत्र तसलीम निवासी लाला का ऑफिस मिर्जा गार्डन चौकी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को खडखडी अंडरपास के पास चौकी क्षेत्र चिरौडी से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी का 01 ई-रिक्शा, 02 मोटर साइकिल, 02 एलईडी, 02 मोबाइल व 01 वेल्डिंग मशीन बरामद हुई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया गया कि हम आपस में दोस्त हैं। हम आस पास के क्षेत्र में मौका पाकर वाहन चोरी व खाली पडे मकानों में से चोरी कर लेते हैं। हमने मिलकर कुछ दिन पहले यह घरेलू सामान, मोटरसाइकिल, ई-रिक्शा, एलईडी, मोबाइल फोन थाना लोनी के चिरौडी क्षेत्र से चोरी किया था। आज हम चारो इस सामान को बेचने के लिए जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. अमन पुत्र आलम निवासी एच-ब्लॉक सेक्टर-11 प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।
2.आसिम पुत्र शमशाद निवासी लाला का ऑफिस मिर्जा गार्डन चौकी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।
3.शाहिद पुत्र मकसूद निवासी सेक्टर-11 प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
4. फरदीन पुत्र तसलीम निवासी लाला का ऑफिस मिर्जा गार्डन चौकी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी का 01 ई-रिक्शा, 02 मोटर साइकिल, 02 एलईडी, 02 मोबाइल व 01 वेल्डिंग मशीन ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 02 अभियोग पंजीकृत हैं व थाना टीला मोड पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व खोखा कारतूस बरामद।

दिनांक 19.05.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि अम्बेडकर कॉलोनी बेहटा हाजीपुर में दो पक्षों में झगडे के दौरान फायरिंग की घटना हुई है जिसके संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 191(2)/191(3)/190/125/109/351(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया

तत्पश्चात आज दिनांक 20.05.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान उपरोक्त अभियोग में वांछित 03 अभियुक्तगण 1.पीयूष उर्फ पीले पुत्र सुनील निवासी प्रधान वाली गली बेहटा हाजीपुर दरगाह मस्जिद के पास थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष 2. अमन पुत्र संजीत कुमार निवासी बेहटा हाजीपुर वार्ड नम्बर-04 थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष 3. गौरव पुत्र हरिपाल निवासी बेहटा हाजीपुर वार्ड नम्बर-04 थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद मूल पता सी-364 न्यू सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 33 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पीयूष उर्फ पीले उपरोक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम लोग अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे तभी हमारा आपस में झगडा हो गया था जिसमें पीयूष उर्फ पाले ने तमंचे से फायरिंग कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तग का नाम व पता-

1.पीयूष उर्फ पीले पुत्र सुनील निवासी प्रधान वाली गली बेहटा हाजीपुर दरगाह मस्जिद के पास थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष।

2.अमन पुत्र संजीत कुमार निवासी बेहटा हाजीपुर वार्ड नम्बर-04 थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

3. गौरव पुत्र हरिपाल निवासी बेहटा हाजीपुर वार्ड नम्बर-04 थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद मूल पता सी-364 न्यू सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 33 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा चेन स्नैचिंग की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छीनी गयी चेन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 19.05.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चेन स्नैचिंग की घटना कारित करने वाला अभियुक्त शाहिद उर्फ सईद पुत्र इदरीश निवासी नूरनगर की पुलिया चमन कॉलोनी थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ, उम्र करीब 37 वर्ष को बम्बे की पुलिया भटजन वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से थाना मोदीनगर क्षेत्र से छीनी गयी 01 चेन (पीली धातु) व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध उक्त

बरामदगी के आधार पर थाना भोजपुर पर धारा 317(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बाताया कि यह चेन मैंने अपने साथी शाहरुख के साथ मिलकर करीब 02 सप्ताह पूर्व इसी मोटरसाइकिल से थाना मोदीनगर क्षेत्र से एक राह चलती महिला से छीनी थी। उक्त चेन के सम्बन्ध में मैंने अपने साथी शाहरुख को यह झूठ बताया कि मैंने चेन 40000/- रुपये में बेच दी है और तेरे हिस्से में 20000/- रुपये आये हैं। मैंने शाहरुख को 20000/- रुपये दे दिये थे जबकि चेन मैंने अपने पास रख ली थी। मेरे साथी शाहरुख को मोदीनगर पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

शाहिद उर्फ सईद पुत्र इदरीश निवासी नूरनगर की पुलिया चमन कॉलोनी थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ, उम्र करीब 37 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त चेन स्नैचिंग के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उक्त चेन बरामदगी के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा जान से मारने की नीयत से मारपीट करने के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 18.05.2025 को थाना लोनी पर वादी श्री मुन्नवर पुत्र श्री बदलूशाह निवासी अशोक विहार अखाडे वाली गली अहमद नगर लोनी गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण-1.इमरान गद्दे वाला 2.फुरकान 3.फारूख 4.सबाब पुत्र पिनू 5.सलमान पुत्र नामालूम व 10-15 अज्ञात लोगों द्वारा वादी व वादी के परिजनों के साथ लाठी, डन्डे व तलवारों से जान से मारने की नीयत से हमला कर गम्भीर चोट पहुंचाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल धारा 191(2)/191(3)/109/131 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 20.05.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फुरकान पुत्र हबीब उर्फ बिल्लू निवासी अहमद नगर अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को राशिद अली गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया गया कि हमारे मौहल्ले का समीर मेरी बहन से बात करता था इसी बात की रंजिश मानते हुए हम लोगो ने समीर व उसके परिवार वालो के साथ मारपीट की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

फुरकान पुत्र हबीब उर्फ बिल्लू निवासी अहमद नगर अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना लोनी पुलिस टीम।ए